मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 24 मार्च, 2015 (चैत्र 3, शक सम्वत् 1937)

विधान सभा पूर्वाह्न 10:32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' का समूहगान

सदन की कार्यवाही राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' के समूहगान से प्रारम्भ हुई.

2. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित के निधन पर सदन की ओर से शोकोदगार व्यक्त किये गये : -

(1) श्री जी. कार्तिकेयन, अध्यक्ष, केरल विधान सभा, तथा
(2) कर्नल (कुमारी) एफ.सी. वाटकिंस, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा.

सर्वश्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री एवं सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष ने भी शोकोदगार व्यक्त किये. अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की गई तथा सदन द्वारा 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

दिवंगतों के सम्मान में कार्यवाही 10.40 बजे 5 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 10.59 बजे पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने -
(क) मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 का यथा-अपेक्षित विवरण तथा
(ख) वित्तीय वर्ष 2014-15 की प्रथम छ: माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ: माही समीक्षा विवरण,
(ग) वाणिज्यिक कर विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं-
(i) क्रमांक एफ ए-03-74-2014-1-पॉच (63), दिनांक 17 दिसम्बर, 2014,
(ii) क्रमांक एफ ए-3-78-2014-1-पॉच (64), दिनांक 19 दिसम्बर, 2014; तथा
(iii) क्रमांक एफ ए 3-82-2014-1-पॉच (06), दिनांक 17 जनवरी, 2015 एवं
(घ) वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-67-2014-1-पॉच (61), दिनांक 10 दिसम्बर, 2014, पटल पर रखीं.
(2) सुश्री कुसुम सिंह महदेले, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री ने -
(क) मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09,
(ख) संत रविदास मध्यप्रदेश हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड भोपाल का 33 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2013-14, तथा
(ग) मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13, पटल पर रखे.
(3) श्री पारस चन्द्र जैन, स्कूल शिक्षा मंत्री ने –
(क) स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 44-19-2013-बीस-2, दिनांक 26 मई, 2014 एवं
(ख) मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2013-14, पटल पर रखे.

(4) श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री ने -

(क) मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड का द्वादश वार्षिक प्रतिवेदन, वित्तीय वर्ष 2013-14,

(ख) पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का द्वादश वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14,

(ग) मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर का बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन, वित्तीय वर्ष 2013-14 द्विभाषीय संस्करण,

(घ) मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन, 2013-14 तथा

(ङ) एम.पी. पॉवर मेनेजमेन्ट कंपनी लिमिटेड का अष्टम् वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14, पटल पर रखे.

(5) श्री ज्ञान सिंह ने अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-12-32-2013-4-पच्चीस, दिनांक 5 फरवरी, 2015 पटल पर रखी.

(6) श्री लालसिंह आर्य, राज्यमंत्री समान्य प्रशासन ने –

(क) मध्यप्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का सत्ताईसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-09, अठ्ठाईसवां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2009-10, उन्तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2010-11, तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2011-12 तथा इकतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13 एवं तत्संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन तथा

(ख) एन.एच.डी.सी. लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2013-14, पटल पर रखे.

4. फरवरी-मार्च, 2015 सत्र की दिनांक 27 फरवरी से 20 मार्च, 2015 तक स्थगित बैठकों की प्रश्नोत्तर सूचियां पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने स्थायी आदेश 13-क की अपेक्षानुसार, फरवरी-मार्च, 2015 सत्र की दिनांक 27 फरवरी, 2015 से 20 मार्च, 2015 तक स्थगित बैठकों की प्रश्नोत्तर सूचियां पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

5. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयक की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश विधान सभा के विगत सत्र में पारित एक विधेयक मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2015 (क्रमांक 3 सन् 2015) (अधिनियम क्रमांक 8 सन् 2015) को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई हैं, जिसका नाम दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं. इस विधेयक का नाम कार्यवाही में मुद्रित किया जायेगा.

6. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक दिनांक 24 मार्च, 2015 को सम्पन्न हुई. जिसमें निम्नलिखित कार्यों पर चर्चा हेतु समय निर्धारित किये जाने की सिफारिश की गई है :-

क्रमांक	विषय	आवंटित समय
1.	वर्ष 2014-2015 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण.	2 घन्टे
2.	प्रदेश के अनेक जिलों में आंधी, तूफान, वर्षा एवं ओलावृष्टि से फसलों को हुई क्षति पर नियम 130 के अधीन चर्चा.	2 घन्टे

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने जिन कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

7. अध्यक्षीय घोषणा
अनुपूरक मांगों पर मतदान के उपरान्त नियम 130 के अंतर्गत चर्चा कराई जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह सूचित किया गया कि माननीय नेता प्रतिपक्ष के सुझावानुसार, अनुपूरक मांगों पर मतदान के उपरान्त नियम 130 के अंतर्गत कार्यसूची में उल्लेखित चर्चा कराई जायेगी.

8. वर्ष 2014-15 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने वर्ष 2014-15 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा द्वितीय अनुपूरक अनुमान पर चर्चा और मतदान के लिए आज दिनांक 24 मार्च, 2015 को 2 घन्टे का समय नियत किया.

9. वर्ष 2014-2015 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि परम्परानुसार, अनुपूरक मांगों की चर्चा में सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाकर उन पर एक साथ चर्चा होती है, अत: वित्त मंत्री द्वारा सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाएं, तदनुसार, श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि –

"दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 36, 38, 39, 41, 44, 45, 47, 50, 52, 55, 58, 63, 64, 66, 67, 69, 73, 74 एवं 75 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर दस हजार छ: सौ सत्तावन करोड़, तेईस लाख, अड़तीस हजार रुपये की अनुपूरक राशि दी जाए.".

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(2) श्री मुकेश नायक

10. अध्यक्षीय व्यवस्था
अनुपूरक अनुदान पर चर्चा की व्याप्ति विषयक

श्री मुकेश नायक, सदस्य द्वारा अनुपूरक अनुमान के सम्बन्ध में विधान सभा की कार्य प्रणाली पर चर्चा करने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 156 (2) को उद्धत करते हुए नियमानुसार अनुमति प्रदान नहीं करने सम्बन्धी व्यवस्था दी गई.

11. वर्ष 2014-2015 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

(3) श्री कमलेश्वर पटेल
(4) श्री शैलेन्द्र पटेल
(5) श्री सोहनलाल बाल्मीक
(6) श्रीमती ऊषा चौधरी
(7) श्री रामनिवास रावत

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2015 (क्रमांक 7 सन् 2015) पुर:स्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि इस विधेयक पर विचार किया जाय.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य द्वारा चर्चा में भाग लिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

श्री जयंत मलैया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक- 2) विधेयक, 2015 (क्रमांक 7 सन् 2015) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

13. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री जय सिंह मरावी, सभापति ने प्रत्यायुक्त विधान समिति का प्रथम प्रतिवेदन तथा द्वितीय एवं तृतीय (कार्यान्वयन) प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.
(2) श्री केदारनाथ शुक्ल, सभापति ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का अड़तालीसवां से तिरपनवां तक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

14. प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

विशेषाधिकार समिति को संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री केदारनाथ शुक्ल, सभापति विशेषाधिकार समिति ने मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन संबंधी नियमावली के नियम-228 के अंतर्गत प्रस्ताव किया कि –

(1) माननीय डॉ. गौरीशंकर शेजवार एवं माननीय डॉ. नरोत्तम मिश्र, मंत्रीद्वय, मध्यप्रदेश शासन एवं माननीय श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य विधान सभा द्वारा माननीय श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष एवं माननीय श्री बाला बच्चन, सदस्य विधान सभा के विरूद्ध.

(2) माननीय डॉ. गौरीशंकर शेजवार एवं माननीय डॉ. नरोत्तम मिश्र, मंत्रीद्वय मध्यप्रदेश शासन द्वारा माननीय श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष के विरूद्ध.

(3) माननीय श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव, सदस्य म.प्र. विधान सभा द्वारा जिला इंदौर के अंतर्गत मानपुर-लेबड़ मार्ग में वालेचा एल.एम. टोल प्राइवेट लिमिटेड के टोल प्लाजा नाके के कर्मचारियों तथा थाना प्रभारी मानपुर के विरूद्ध माननीय श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल, सदस्य विधान सभा के साथ अपमानजनक व्यवहार एवं जनप्रतिनिधित्व कार्य में बाधा उत्पन्न करने के संबंध में विशेषाधिकार समिति को संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

15. स्वागत उल्लेख

श्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति का उल्लेख अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में किया गया.

16. नियम 130 के अधीन सामान्य लोकहित के विषय पर चर्चा

प्रदेश के अनेक जिलों में तेज आंधी, तूफान, वर्षा एवं ओलावृष्टि से फसलों को क्षति होने के संबंध में श्री रामपाल सिंह, राजस्व मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह

17. अध्यक्षीय घोषणा

माननीय सदस्यों के ई-मेल आईडी बनाने विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में घोषणा की गई कि मध्यप्रदेश विधान सभा के सत्र, विधान सभा समिति की बैठकों एवं अन्य सचिवालयीन परिपत्रों को ई-मेल से भेजने हेतु विधानसभा सचिवालय द्वारा सभी माननीय सदस्यों के ई-मेल आईडी बनाये जा रहे हैं. इस हेतु माननीय सदस्यों के मोबाईल नम्बर की भी आवश्यकता है.

सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सूचना कार्यालय में उपलब्ध तदाशय की सूची का अवलोकन कर, अपना सही मोबाईल नम्बर एवं अपने ई-मेल आईडी को भी आवश्यक रूप से देख कर सूची पर हस्ताक्षर करने का कष्ट करें, ताकि ई-मेल आईडी में शाब्दिक त्रुटि (Spelling mistake) न रह जाए.

(अपराह्न 1.00 से 2.34 बजे तक अन्तराल)
उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

18. नियम 130 के अधीन सामान्य लोकहित के विषय पर चर्चा (क्रमश:)

(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(3) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(4) श्री विश्वास सारंग
(5) श्री बाला बच्चन

सभापति महोदय (श्री मानवेन्द्र सिंह) पीठासीन हुए.

(6) श्री रजनीश सिंह
(7) डॉ. मोहन यादव
(8) श्री शैलेन्द्र पटेल

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(9) श्री जितु पटवारी
(10) श्री दुर्गालाल विजय
(11) कुंवर सौरभ सिंह
(12) श्री सत्यप्रकाश सखवार
(13) श्री जयवर्द्धन सिंह
(14) श्री दिनेश राय
(15) श्री मधु भगत
(16) श्री गोविन्द सिंह पटेल
(17) कुंवर विक्रम सिंह
(18) श्री प्रताप सिंह
(19) श्री मुकेश नायक
(20) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया
(21) श्री मुकेश सिंह चतुर्वेदी
(22) श्री सुन्दरलाल तिवारी

19. अध्यक्षीय घोषणा
सदन के समय में वृद्धि विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से आज की कार्यसूची में उल्लिखित नियम 130 के अधीन जारी चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि संबंधी घोषणा की गई.

20. नियम 130 के अधीन सामान्य लोकहित के विषय पर चर्चा (क्रमश:)

(23) श्री कमलेश्वर पटेल
(24) श्री रामपाल सिंह (व्यौहारी)
(25) श्री आशीष गोविन्द शर्मा
(26) श्रीमती शीला त्यागी
(27) श्री नीलेश अवस्थी
(28) श्री संजीव उइके
(29) श्री दिलीप सिंह परिहार
(30) सुश्री हिना कांवरे
(31) श्री सोहनलाल बाल्मीक
(32) डॉ. रामकिशोर दोगने
(33) श्री निशंक कुमार जैन
(34) श्री हेमंत खण्डेलवाल
(35) श्री गोवर्धन उपाध्याय
(36) श्री गिरीश भंडारी

सभापति महोदया (श्रीमती अर्चना चिटनिस) पीठासीन हुई.

(37) श्रीमती झूमा सोलंकी
(38) श्री सचिन यादव
(39) चौधरी चन्द्रभान सिंह
(40) श्री उमंग सिंघार
(41) श्री यादवेन्द्र सिंह
(42) श्री वैल सिंह भूरिया
(43) श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

21. राष्ट्रगान "जन गण मन" का समूह गान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान "जन-गण-मन" का समूह गान किया गया.

22. गर्भगृह में प्रवेश कर धरना

इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा गर्भगृह में प्रवेश कर धरने पर बैठ जाना

नेता प्रतिपक्ष, श्री सत्यदेव कटारे के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर गर्भगृह में आये और धरने पर बैठ गए.

23. विधान सभा की कार्यवाही का अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाना

अपराह्न 7.25 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई.

भगवानदेव ईसरानी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 24 मार्च, 2015